

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 19, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 464 एफ-01-400-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् रेहटी, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(01) वार्ड क्र. 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(01) वार्ड क्र. 15, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(01) वार्ड क्र. 02, सरदार वल्लभ भाई पटेल (02) वार्ड क्र. 03, जयप्रकाश नारायण वार्ड (03) वार्ड क्र. 09, इंदिरा गांधी वार्ड (04) वार्ड क्र. 14, महाराणा प्रताप सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(01) वार्ड क्र. 02, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (02) वार्ड क्र. 09, इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(01) वार्ड क्र. 01, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (02) वार्ड क्र. 05, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (03) वार्ड क्र. 07, महात्मा गांधी वार्ड (04) वार्ड क्र. 10, सरदार भगत सिंह वार्ड (05) वार्ड क्र. 13, गुरुनानक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ-01-400-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 464 एफ-01-400-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 464 F 01-400-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Rehati, District Sehore published as Follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
01	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(01) Ward No.04, Dr. Ambedkar Ward
02	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(01) Ward No. 15, Swami Vivekananda Ward
03	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(01) Ward No. 02, Sardar Vallabh bhai Patel (02) Ward No. 03, Jayaprakash Narayan Ward (03) Ward No. 09, Indira Gandhi Ward (04) Ward No. 14, Maharana Pratap singh Ward
04	No. of Wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	Nil	Nil
05	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
06	No. of Wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(01) Ward No. 02, Sardar Vallabh bhai Patel (02) Ward No. 09, Indira Gandhi Ward
07	No. of Wards Reserved for (other than S . No . 04 , 05 & 06) (Women)	05	(01) Ward No. 01, Lal Bahadur Shastri Ward (02) Ward No. 05, Pt. Jawaharlal Nehru Ward (03) Ward No. 07, Mahatma Gandhi Ward (04) Ward No. 10, Sardar Bhagat Singh Ward (05) Ward No. 13, Gurunanak Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 465 एफ-01-402-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1. वार्ड क्र० 01, सुभाषचन्द्र वार्ड 2. वार्ड क्र० 02, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1. वार्ड क्र० 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1. वार्ड क्र० 04, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2. वार्ड क्र० 06, मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड 3. वार्ड क्र० 08, भगत सिंह वार्ड 4. वार्ड क्र० 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1. वार्ड क्र० 01, सुभाषचन्द्र वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1. वार्ड क्र० 06, मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड 2. वार्ड क्र० 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	1. वार्ड क्र० 03, तिलक वार्ड 2. वार्ड क्र० 07, संजय वार्ड 3. वार्ड क्र० 11, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड 4. वार्ड क्र० 12, इंदिरा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ-01-402-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 465 एफ-01-402-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 465 F 01-402-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Nasrullaganj, District Sehore published as Follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
01	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(01) Ward No. 01, Subhash Chandra Ward (02) Ward No. 02, Dr. Ambedkar Ward
02	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(01) Ward No. 10, Dr. Rajendra Prasad Ward
03	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(01) Ward No. 04, Sardar Vallabh bhai Patel (02) Ward No. 06, Maulana Abul Kalam Azad Ward (03) Ward No. 08, Bhagat Singh Ward (04) Ward No. 14, Lal Bahadur Shastri Ward
04	No. of Wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	01	(01) Ward No. 01, Subhash Chandra Ward
05	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
06	No. of Wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(01) Ward No. 06, Maulana Abul Kalam Azad Ward (02) Ward No. 14, Lal Bahadur Shastri Ward
07	No. of Wards Reserved for (other than S. No. 04, 05 & 06) (Women)	04	(01) Ward No. 03, Tilak Ward (02) Ward No. 07, Sanjay Ward (03) Ward No. 11, Pt. Ravi Shankar Shukl Ward (04) Ward No. 12, Indira Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 466 एफ-1-416-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् परिषद कैमोर, जिला कटनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 06, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 05, गांधी नगर वार्ड (2) वार्ड क्रं. 07, बरापार वार्ड (3) वार्ड क्रं. 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 01, पनिहाई वार्ड (2) वार्ड क्रं. 08, इंदिरा नगर वार्ड (3) वार्ड क्रं. 12, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड (4) वार्ड क्रं. 10, सण्डे मार्केट एवं कैलाश नगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 05, गांधी नगर वार्ड (2) वार्ड क्रं. 07, बरापार वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 08, इंदिरा नगर वार्ड (2) वार्ड क्रं. 12, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 02, डॉ. जाकिर हुसेन वार्ड (2) वार्ड क्रं. 04, राजीव नगर वार्ड (3) वार्ड क्रं. 11, श्रमिक नगर वार्ड (4) वार्ड क्रं. 13, लोहिया नगर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ-1-416-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 466 एफ-01-416-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 466 F-1-416-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Kymore, District Katni published as Follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 06 – Maharani Laxmibai Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 05, Gandhi Nagar Ward (2) Ward No. 07, Barapar Ward (3) Ward No. 15, Dr. Ambedkar Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 01, Panihai Ward (2) Ward No. 08, Indira Nagar Ward (3) Ward No. 12, Pt. Jawahar Lal Nehru Ward (4) Ward No. 10, Sunde Market & Kailashi Nagar Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	NIL	NIL
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	02	(1) Ward No. 05, Gandhi Nagar Ward (2) Ward No. 07, Barapar Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 08, Indira Nagar Ward (2) Ward No. 12, Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 02, Dr. Zakir Hussain Ward (2) Ward No. 04, Rajeev Nagar Ward (3) Ward No. 11, Shramik Nagar Ward (4) Ward No. 13, Lohiya Nagar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 467 एफ-1-417-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, बिलहरा, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 15, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, हरदौल वार्ड (3) वार्ड क्र0 06, शिवशंकर वार्ड (4) वार्ड क्र0 13, विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 01, सिंहवाहिनी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 12, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र0 09, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 14, लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्र0 04, गणेश चौक वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 05, हरदौल वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, शिवशंकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरक	निरक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 09, शिवाजी वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, गणेश चौक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 02, जानकी रमण वार्ड (2) वार्ड क्र0 10, अंबतीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र0 11, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र0 03, राधाकृष्ण वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ-1-417-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 467 एफ-1-417-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 467 F 1-417-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Bilhara, District Sagar published as Follows:—

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 15, Ambedkar Ward (2) Ward No. 05, Hardaul Ward (3) Ward No. 06, Shivshankar Ward (4) Ward No. 13, Vivekanand Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 01, Singhwahini Ward
3	No. of wards Reserved for other Backward Classes	04	(1) Ward No. 12, Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 09, Shivaji Ward (3) Ward No. 14, Lakshmibai Ward (4) Ward No. 04, Ganesh Chowk Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 05, Hardaul Ward (2) Ward No. 06, Shivshankar Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of Ward Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 09, Shivaji Ward (4) Ward No. 04, Ganesh Chowk Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4,5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 02, Janki Raman Ward (2) Ward No. 10, Avantibai Ward (3) Ward No. 11, Mahatma Gandhi Ward (4) Ward No. 03, Radhakrishna Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 468 एफ-01-420-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् सुरखी, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1. वार्ड क्र. 01, महात्मा गांधी वार्ड 2. वार्ड क्र. 05, अब्दुल कलाम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1. वार्ड क्र. 09, अम्बेडकर वार्ड 2. वार्ड क्र. 10, शिवाजी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1. वार्ड क्र. 02, चंद्रशेखर आजाद वार्ड 2. वार्ड क्र. 15, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 3. वार्ड क्र. 04, महाराणा प्रताप वार्ड 4. वार्ड क्र. 14, लक्ष्मीबाई वार्ड

4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1. वार्ड क्र. 05, अब्दुल कलाम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1. वार्ड क्र. 10, शिवाजी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1. वार्ड क्र. 04, महाराणा प्रताप वार्ड 2. वार्ड क्र. 02, चंद्रशेखर आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	1. वार्ड क्र. 11, अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 2. वार्ड क्र. 08, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 3. वार्ड क्र. 12, अवंतीबाई वार्ड 4. वार्ड क्र. 13, हरीसिंह गौर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 01-420-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 468 एफ-01-420-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 468 F-1-420-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Surkhi, District Sagar published as Follows:—

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	1. Ward No. 01, Mahatma Gandhi Ward 2. Ward No. 05, Abdul Kalam Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	1. Ward No. 09, Ambedkar Ward 2. Ward No. 10, Shivaji Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	1. Ward No. 02, Chandrshekhhar Azad Ward 2. Ward No. 15, Shyamaprasad Mukherjee Ward 3. Ward No. 04, Maharana Pratap Ward 4. Ward No. 14, Rani Lakshmbai Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	1. Ward No. 05, Abdul Kalam Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	1. Ward No. 10, Shivaji Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	1. Ward No. 04, Maharana Pratap Ward 2. Ward No. 02, Chandrshekhhar Azad Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) (Women)	04	1. Ward No. 11, Atal Bihari Vajpayee Ward 2. Ward No. 08, Ravindranath Taygor Ward 3. Ward No. 12, Avantibai Ward 4. Ward No. 13, Harisingh Gour Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

अधि. क्र. 469 एफ-1-421-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् केवलारी, जिला सिवनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 01, गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 02, टैगोर वार्ड (3) वार्ड क्र. 15, राधाकृष्णन वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 03, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्र. 07, नेहरू वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 09, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, मेजर ध्यानचंद वार्ड (3) वार्ड क्र. 12, मालवीय वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, अवंती बाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 02, टैगोर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, शास्त्री वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 11, मेजर ध्यानचंद वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, मालवीय वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 04, अबेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र. 14, तिलक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 1-421-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 469 एफ-1-421-2020-अठारह-3, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2020

Not.-No. 469 F 1-421-2020-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Keolari, District Seoni published as Follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 01, Gandhi Ward (2) Ward No. 02, Tagore Ward (3) Ward No. 15, Radha Krishnan Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 03, Subhash Ward (2) Ward No. 05, Shastri Ward (3) Ward No. 07, Nehru Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 09, Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 11, Major Dhyanchand Ward (3) Ward No. 12, Malviya Ward (4) Ward No. 13, Avanti Bai Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 01, Gandhi Ward (2) Ward No. 02, Tagore Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	02	(1) Ward No. 03, Subhash Ward (2) Ward No. 05, Shastri Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 11, Major Dhyanchand Ward (2) Ward No. 12, Malviya Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	02	(1) Ward No. 04, Ambedkar Ward (2) Ward No. 14, Tilak Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.